

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
उगमसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपुत, निवासी मते का तला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर हाल निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		रामत पत्नी आरब जाति मुसलमान, निवासी जोरानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 77/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.03.2023	प्राथी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री अभयसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर... हो विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 19.04.23 को पेश हो।	
19.04.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीछलीग अधिकारी के दीनकर कायों में व्यस्त होने के कारण इलतया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसर आईन्दा दिनांक 24.5.23 को पेश हो।	
24.5.23	पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। प्राथी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस व डिप्लेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे सादर पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इतना होकर दिनांक 2.8.23 को पेश हो।	
2.8.23	पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण को उपस्थित होकर अंतिम अंतरा किया जाकर दिनांक 11.8.23 को पेश हो।	

सेवामे
प्रार्थी

25.02.26 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली का अंश छह से दिनांक 02.4.26 को पेश हो।

2.4.26 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 15.4.26 को पेश हो।

15.4.26 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी केदीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.4.26 को पेश हो।

29.04.26 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली का अंश छह से दिनांक 07.05.26 को पेश हो।

7.5.26 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 14.5.26 को पेश हो।

14.05.26 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित हो जाने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने तथा तारहीन होने से इसी स्टेज पर खारिज बिना जात्रा है।
पत्रावली नम्बर से कर होकर दायित्व स्वरूप हो।

सहायक जलक्टर
शिव (बाड़मेर)